<u>भारत के राजपत्र असाधारण के भाग- I, खंड- I में प्रकाशनार्थ</u>

फा. सं. 6/18/2024-डीजीटीआर

भारत सरकार, वाणिज्य विभाग

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,

5, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001

दिनांक : 29/06/2024

<u>जांच शुरूआत अधिसूचना</u>

<u>मामला सं. एडी (ओआई) - 16/2024</u>

विषय : यूरोपीय संघ से किसी भी रूप में 'थिरम' के आयात के संबंध में एक पाटनरोधी जांच की शुरूआत।

1. स्वरूप केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड(जिन्हें यहां आगे ''घरेलू उद्योग'' अथवा "आवेदक" के रुप में भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे ''अधिनियम'' के रुप में भी कहा गया है) और समय समय पर यथा-संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे ''नियमावली'' के रुप में भी कहा गया है) के अनुसार, निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे "प्राधिकारी" के रुप में भी कहा गया है) के समक्ष घरेलू उद्योग की ओर से एक आवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें चीन जन. गण., पेरू और थाईलैंड (जिन्हें आगे "संबद्ध देश" के रुप में भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "एक्रिलिक फाइबर" के कथित पाटन के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरूआत करने का अनुरोध किया गया है ।

2. आवेदक ने यह आरोप लगाया है कि संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है और संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

क. विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी)

3. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद अपने तकनीकी और फॉर्मूलेशन फॉर्म सहित किसी भी रूप में थिरम है।

4. थीरम का उपयोग खेत में फसल की क्षति को रोकने और भंडारण या परिवहन में फसलों को खराब होने से बचाने के लिए कवकनाशी के रूप में किया जाता है। थीरम का उपयोग विभिन्न प्रकार के फंगल रोगों से बीज, अखरोट, फल और मशरूम कीटाणुनाशक के रूप में भी किया जाता है। इसके अलावा, इसका उपयोग फलों के पेड़ों और सजावटी पौधों को खरगोशों, कृंतकों और हिरणों से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए पशु विकर्षक के रूप में किया जाता है। थिरम का उपयोग मानव खुजली के उपचार में, सनस्क्रीन के रूप में, और त्वचा पर सीधे लगाने या साबुन में मिलाने वाले जीवाणुनाशक के रूप में किया जाता है।

5. विचाराधीन उत्पाद को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 38 के तहत टैरिफ वर्गीकरण के शीर्षक 3808 9230 के तहत वर्गीकृत किया गया है। विचाराधीन उत्पाद का एक समर्पित वर्गीकरण है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और यह जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है ।

6. वर्तमान जांच के पक्ष विचाराधीन उत्पाद पर अपनी टिप्पणियाँ प्रदान कर सकते हैं और विषय जांच शुरू होने के 30 दिनों के भीतर पीसीएन (उचितीकरण के साथ), यदि कोई हो, प्रस्तावित कर सकते हैं। औचित्य और प्रासंगिक साक्ष्य के बिना की गई प्रस्तुतियों पर प्राधिकरण द्वारा विचार नहीं किया जा सकता है

ख. समान वस्तु

7. आवेदक ने यह दावा किया है कि संबद्ध देशों से निर्यात की गई संबद्ध वस्तुओं और आवेदकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। आवेदक द्वारा उत्पादित तथा संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तुएं, भौतिक और रासायनिक विशिष्टतताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्यों और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों, मूल्य निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी आवश्यक उत्पाद विशिष्टताओं के संदर्भ में तुलनीय है। उपभोक्ता दोनों का परस्पर उपयोग करते हैं। आवेदक ने आगे दावा

किया है कि दोनों ही तकनीकी और व्यावसायिक रूप में प्रतिस्थापनीय हैं, अत: उन्हें नियमों के तहत समान वस्तु के रूप में माना जाना चाहिए। अत: वर्तमान जांच के उद्देश्य से, आवेदक द्वारा उत्पादित उत्पाद को संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु के रूप में माना जा रहा है।

ग. <u>संबद्ध देश</u>

8. वर्तमान जांच में संबद्ध देश में यूरोपीय संघ हैं।

घ. <u>जांच की अवधि (पी.ओ.आई.)</u>

9. आवेदकों ने जांच की अवधि 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 (12 महीने की अवधि) मानी है। क्षति सूचना अवधि में वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2022-23 और जांच की अवधि शामिल है।

ड. <u>घरेलू उद्योग और आधार</u>

10. आवेदन स्वरूप केमिकल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। अंबा केम इंडस्ट्रीज की ओर से समर्थन पत्र दाखिल किया गया है. यह प्रस्तुत किया गया है कि सुदामा केमटेक प्रा. लिमिटेड भारत में उत्पाद का एक अन्य उत्पादक है।

11. उपलब्ध जानकारी के आधार पर, आवेदक का उत्पादन भारत में समान वस्तु के घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा है। इसके अलावा, आवेदक का संबद्ध देश में किसी निर्यातक या भारत में किसी आयातक से कोई संबंध नहीं है।

12. प्रदान की गई सूचना के आधार पर, यह देखा गया है कि आवेदक नियम 2(ख) के तात्पर्य से "घरेलू उद्योग" का गठन करते हैं और आवेदन नियम 5(3) के अनुसार आधार मानदंडों को पूरा करता है।

च. **सामान्य मूल्य, निर्यात मूल्य और पाटन।**

सामान्य मूल्य

13. आवेदक ने दावा किया है कि यूरोपीय संघ में घरेलू बाजार में उत्पाद की बिक्री मूल्य के संबंध में कोई प्रकाशित जानकारी नहीं है। आवेदक ने यह भी प्रस्तुत किया है कि उत्पाद की बिक्री पर यूरोपीय संघ में प्रतिबंध लगाए गए हैं और इसलिए, यह स्पष्ट नहीं है कि यूरोपीय संघ के घरेलू बाजार में विचाराधीन उत्पाद की पर्याप्त बिक्री है या नहीं। इसलिए, आवेदक ने प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत और मुनाफे के लिए उचित वृद्धि के साथ उत्पादन की लागत के आधार पर सामान्य मूल्य का प्रस्ताव दिया है। जांच शुरू करने के लिए आवेदक द्वारा प्रस्तावित सामान्य मूल्य पर विचार किया गया है।

छ. **निर्यात कीमत**

14. आवेदक ने डीजीसीआईएंडएस द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार भारत में सीआईएफ आयात मूल्य को अपनाया है। हालाँकि, प्राधिकरण ने डीजी सिस्टम्स लेनदेन-वार डेटा पर विचार किया है। चूंकि जानकारी सीआईएफ के आधार पर है, इसलिए फैक्ट्री-पूर्व निर्यात मूल्य पर पहुंचने के लिए समुद्री माल ढुलाई, समुद्री बीमा, कमीशन, अंतर्देशीय माल ढुलाई, बंदरगाह व्यय और बैंक शुल्क के आधार पर समायोजन किया गया है।

ज. **पाटन मार्जिन**

15. ऊपर निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य को ध्यान में रखते हुए, पाटन मार्जिन निर्धारित किया गया है। यह नोट किया गया है कि पाटन मार्जिन महत्वपूर्ण है और न्यूनतम स्तर से ऊपर है। इस प्रकार, इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया सबूत हैं कि विचाराधीन उत्पाद का सामान्य मूल्य उस कीमत से अधिक है जिस पर इसे संबद्ध देश से निर्यात किया जाता है, इस प्रकार प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य है कि विचाराधीन उत्पाद को संबद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में पाटित किया जा रहा है।

झ. **क्षति और कारणात्मक संबंध**

16. आवेदक ने पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य प्रदान किया है। क्षति के आकलन के लिए आवेदक द्वारा दी गई जानकारी पर विचार किया गया है। आवेदक ने कथित पाटन के कारण हुई क्षति के संबंध में प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत किया है, जिसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण नुकसान हुआ है। आवेदक ने दावा किया है कि मांग-आपूर्ति में कोई अंतर नहीं होने के बावजूद, संबद्ध आयात की मात्रा में वृद्धि हुई है। आवेदक काफी कम क्षमता उपयोग और बाजार हिस्सेदारी के साथ काम कर रहा है। आवेदक वित्तीय घाटे, नकदी घाटे और नियोजित पूंजी पर नकारात्मक रिटर्न के साथ काम कर रहा है। पाटनरोधी जांच की शुरुआत को उचित ठहराने के लिए विषयगत देश से विषयगत वस्तुओं के डंप किए गए आयात के कारण आवेदक को होने वाली भौतिक क्षति के पर्याप्त प्रथम दृष्टया सबूत हैं।

ञ. **पाटननरोधी जांच की शरुआत**

17. आवेदक द्वारा विधिवत प्रमाणित लिखित आवेदन के आधार पर, और स्वयं संतुष्ट होने के बाद, विषय देश में उत्पन्न या वहां से निर्यात किए गए विचाराधीन उत्पाद की डंपिंग के बारे में प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर, घरेलू उद्योग को नुकसान और इस तरह के कथित डंपिंग और क्षति के बीच कारण संबंध, और नियमों के नियम 5 के साथ पढ़े गए अधिनियम की धारा 9 ए के अनुसार, प्राधिकरण, इसके संबंध में किसी भी कथित डंपिंग के अस्तित्व, डिग्री और प्रभाव को निर्धारित करने के लिए एक जांच शुरू करता है। विषयगत देश में उत्पन्न या वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद और एंटी-डंपिंग शुल्क की राशि की सिफारिश करना, जो यदि लगाया जाता है, तो घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।

ट. **प्रक्रिया**

18. वर्तमान जांच के लिए नियमावली के नियम 6 में दिए गए सिद्धांतों का पालन किया जाएगा।

ठ. **<u>सूचना प्रस्तुत करना</u>**

19. निर्दिष्ट प्राधिकारी संचार ई-मेल पतों dir16-dgtr@gov.in और dd15-dgtr@gov.in जिसकी एक प्रति adg16-dgtr@gov.in और adv13-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/ एमएस वर्ड फार्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फार्मेट में खोजी जाने योग्य होनी चाहिए।

20. संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के जरिए संबद्ध देशों की सरकार, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं को इस जांच शुरूआत की अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है। ऐसी समस्त सूचना इस जांच शुरूआत की अधिसूचना, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में यथाविहित प्रपत्र और ढंग से प्रस्तुत की जानी चाहिए ।

21. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी इस जांच शुरूआत की अधिसूचना, पाटनरोधी नियमावली, 1995 और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में यथा विहित प्रपत्र और ढंग से इस जांच शुरूआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर वर्तमान जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है ।

22. प्राधिकारी के समक्ष कोई भी गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराने के लिए उसका एक अगोपनीय पाठ प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

23. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे जांच के संबंध में किसी अद्यतन जानकारी के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी की अधिकारिक वेबसाइट (http://www.dgtr.gov.in/) पर नियमित रूप से नजर रखें ।

ड. **<u>समय सीमा</u>**

24. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना प्राधिकारी को नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार घरेलू उद्योग द्वारा आवेदन के अगोपनीय पाठ को दाखिल किए जाने की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा ई-मेल पतों dir16-dgtr@gov.in और dd15-

dgtr@gov.in तथा उसकी प्रति adg16-dgtr@gov.in और adv13-dgtr@gov.in को ई-मेल के माध्यम से परिचालित की जाएगी अथवा निर्यातक देशों के उपयुक्त राजनायिक प्रतिनिधि को भेजी जाएगी। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

25. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्द्वारा सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और इस इस अधिसूसचना में उक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का अपना उत्तर प्रस्तुत करें।

26. जहां कोई हितबद्ध पक्षकार अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय मांगता है वहां उसे एडीडी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार समय बढ़ाने का पर्याप्त कारण बताना होगा और वह अनुरोध इस अधिसूचना में निर्धारित समयावधि के भीतर किया जाना चाहिए ।

ढ. <u>गोपनीय आधार पर सूचना की प्रस्तुती</u>

27. वर्तमान जांच में प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसी सूचना का अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

28. ऐसी प्रस्तुतियों को प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर स्पष्ट रूप से "गोपनीय" या "अगोपनीय" के रूप में चिहि्नत किया जाना चाहिए। ऐसे चिह्नों के बिना प्राधिकरण को किया गया कोई भी प्रस्तुतीकरण प्राधिकरण द्वारा "अगोपनीय" जानकारी के रूप में माना जाएगा, और प्राधिकरण अन्य इच्छुक पार्टियों को ऐसे प्रस्तुतीकरणों का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होगा।

29. इच्छुक पार्टियों द्वारा दायर की गई जानकारी का गैर-गोपनीय संस्करण अनिवार्य रूप से गोपनीय संस्करण की प्रतिकृति होना चाहिए, जिसमें गोपनीय जानकारी को अधिमानतः अनुक्रमित या खाली किया जाना चाहिए (जहां अनुक्रमण संभव नहीं है) और ऐसी जानकारी

को उचित और पर्याप्त रूप से संक्षेप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। उस जानकारी पर जिस पर गोपनीयता का दावा किया गया है।

30. गोपनीय आधार पर दी गई जानकारी के सार को उचित ढंग से समझने के लिए गैर-गोपनीय सारांश पर्याप्त विवरण में होना चाहिए। हालाँकि, असाधारण परिस्थितियों में, गोपनीय जानकारी प्रस्तुत करने वाली पार्टी यह संकेत दे सकती है कि ऐसी जानकारी सारांश के लिए अतिसंवेदनशील नहीं है, और नियमों, 1995 के नियम 7 और जारी किए गए उचित व्यापार नोटिस के संदर्भ में पर्याप्त और पर्याप्त स्पष्टीकरण वाले कारणों का विवरण शामिल है। प्राधिकरण द्वारा, ऐसा सारांश क्यों संभव नहीं है, प्राधिकरण की संतुष्टि के लिए प्रदान किया जाना चाहिए। अन्य इच्छुक पक्ष दस्तावेज़ का गैर-गोपनीय संस्करण प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर दावा की गई गोपनीयता पर अपनी टिप्पणियाँ दे सकते हैं।

31. गोपनीयता के दावे पर उसके सार्थक गैर-गोपनीय संस्करण के बिना या नियम, 1995 के नियम 7 और प्राधिकरण द्वारा जारी उचित व्यापार नोटिस के संदर्भ में पर्याप्त और पर्याप्त कारण विवरण के बिना किए गए किसी भी प्रस्तुतीकरण को प्राधिकरण द्वारा रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाएगा।

ण. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

32. पंजीकृत इच्छुक पार्टियों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी और साथ ही उन सभी से अनुरोध किया जाएगा कि वे अन्य सभी इच्छुक पार्टियों को अपनी प्रस्तुतियों का गैर-गोपनीय संस्करण ईमेल करें। प्रस्तुतियाँ/प्रतिक्रिया/सूचना के गैर-गोपनीय संस्करण को प्रसारित करने में विफलता के कारण इच्छुक पैरी को असहयोगी माना जा सकता है।

त. <u>असहयोग</u>

33. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार इस जांच शुरूआत अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित और अलग पत्र के जरिए दी गई आगामी समयावधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और

उपलब्धत थ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

(अनन्त स्वरूप)
निर्दिष्ट प्राधिकारी